वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 491(9)/रा0, दिनांक 09.10.14, पत्रांक 575(9)/रा0, दिनांक 18.11.14 द्वारा राजस्व शिविरों को संचालन हेतु प्राप्त निहित दिशा–निर्देश के आलोक में प्रत्येक अंचलों में पाँच–पाँच पंचायतों के कैम्प स्थल केन्द्र चयनित कर माह के प्रत्येक मंगलवार को राजस्व संबंधी मामलों एवं दाखिल–खारिज मामलों का निष्पादन किया जाना है। तदनुसार वैशाली जिला अन्तर्गत प्रत्येक अंचल में माह के प्रत्येक मंगलवार को राजस्व शिविर आयोजित करने के उद्देश्य से पाँच–पाँच पंचायतों के शिविर/कैम्प स्थल का तत्कालिक प्रभाव वर्ष 2016 से एवं अगले आदेश तक के लिए (कार्यक्रम कलेण्डर सूची 01 से 16 पर संलग्न है) निर्धारित किया जाता है।

- अंचल अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने अंचल अन्तर्गत निर्धारित शिविर/कैम्प में वे 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक शिविर में संबंधित हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं स्वयं उपस्थित रहकर दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन की कार्रवाई करेंगे। शिविर मे आवश्यक सभी भू–अभिलेख यथा खतियान पंजी–2 शुद्धि–पत्र आदि व्यवहार रखा करेंगे।
- शिविर में दाखिल–खारिज से संबधित प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद रैयतों को प्रपत्र–4 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- दाखिल–खारिज के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टी दाखिल–खारिज पंजी–5 में करते हुए निष्पादन की कार्रवाई करेंगे।
- दाखिल–खारिज की आदेश करने के पश्चात शुद्धि–पत्र तीन प्रतियों में तैयार करेंगे, जिसकी प्रति एक अंचल कार्यालय, दूसरी प्रति हल्का कर्मचारी के पास तथा तीसरी प्रति आवेदनकर्त्ता को दे देंगे।
- जमाबंदी पंजी में क्रेता जिसके नाम से नामान्तरण करते हुए एवं विक्रेता राशि पुराने रैयत से संबंधित इन्दराज संशोधित करेंगे।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष तक प्रतिवेदित दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन (विवादित मामलों को छोड़कर) दो माह के अंदर निश्चित रूप/अचुक रूप से निष्पादन करेंगे।
- शुद्धि–पत्र के साथ–साथ जमाबंदी पंजी में खाता, खेसरा, रकबा एवं चौहद्दी की भी प्रविष्टि करेंगे।
- उपर्युक्त प्रक्रिया के बाद रोज की भांति आर0टी0पी0एस0 काउन्टर के कम्प्यूटर में कैम्प में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे। आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर उपलब्ध कम्प्यूटर सेट के सॉफ्टवेयर में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि कैम्प मोड में जाकर आवेदनों को प्रविष्टि सुनिश्चित करायेंगे।
- बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 की धारा–6(ख) के अनुसार अविवादित मामलों का निष्पादन भी उसी दिन शिविर न्यायालय में करेंगे। शुद्धि–पत्र एवं लगान रसीद भी आवेदक को उसी दिन शिविर न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- दाखिल–खारिज विवादित मामला में पक्षकारों को सुनवाई एवं अपना–अपना साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए विवाद की जाँच–पड़ताल कर विधिवत सुनवाई कर दोबारा आयोजित होने वाले उसी शिविर/कैम्प वैसे विवादग्रस्त मामला का निष्पादन करेंगे।
- एक ही परिवार के दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सहमति के उपरांत किये गये बँटवारें के पश्चात साक्ष्य या वैधता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर दाखिल–खारिज के मामलों का निष्पादन शिविर न्यायालय में ही करेंगे।
- बेदखली तथा सरकारी एवं निजी भूमि विवादों में स्थानीय तौर पर निराकरण की दिशा में शिविर के माध्यम से ठोस एवं कारगर कदम उठायेंगे।

83

- मुख्यमंत्री, सचिवालय एवं मुख्य सचिव सहित प्राप्त जन शिकायतों संबंधित मौजा के अनुसार राजस्व शिविर में ही निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।
- अब तक किये गये सर्वेक्षणों के आलोक में सुयोग्य श्रेणी के रैयतों के साथ निम्न मदों में बंदोवस्ती पर्चा आदि का वितरण राजस्व शिविर में ही सम्पन्न करेंगे।
- भू-हदबदी अधिनियम के तहत अर्जित अधिशेष भूमि की पहचान तथा वितरण सुनिश्चित करेंगे।
- महादलित/अन्य सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों के साथ वासगीत परियोजना से बी०पी०पी०एच०टी० अधिनियम, गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि की नियमानुसार बंदोवस्ती शिविर में सम्पन्न करेंगे।
- राजस्व शिविर आयोजन से संबंधित कार्यक्रम की प्रति अंचल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के साथ ही संबंधित पंचायतों के पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवनों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित कराते हुए उसकी प्रति त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य सभी संबंधितों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- शिविर न्यायालय आयोजन के कार्यक्रम का ध्वनी विस्तारक यंत्र/समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
- राजस्व शिविरों में अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं अन्य कर्मियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा उनका ऑनसाईट मार्ग दर्शन हेतु अपर समाहर्त्ता, संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचल के वरीय प्रभारी पदाधिकारी (वरीय उप समाहर्त्ता), विभिन्न राजस्व निर्धारित शिविर/कैम्प में उपस्थित होकर संपादित कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे एवं आवश्यक मार्गदर्शन देना सुनिश्चित करेंगे।
- राजस्व शिविरों में प्राप्त एवं निष्पादित दाखिल-खारिज वादों से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला राजस्व कार्यालय को अगले दिन 10.00 बजे पूर्वा० में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी भू०सु० वैशाली   अपर समाहर्त्ता वैशाली   समाहर्त्ता, वैशाली।

ज्ञापांक :- 430 /जिला भू०सु०, दिनांक :- 27.2.16

प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित है कि राजस्व शिविर से संबंधित निर्धारित कार्यक्रम का सूची (संलग्न सी०डी०) को जिला के वेबसाईट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, वैशाली को विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, वैशाली जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रखण्ड/अंचल के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वैशाली जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, वैशाली/अपर समाहर्त्ता, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों को इसमें अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

प्रभारी पदाधिकारी भू०सु०   अपर समाहर्त्ता वैशाली   समाहर्त्ता, वैशाली।

D:\REVENUE Dept.-2015-16\RAJSWA SHIVIR REPORT\shivir letter 16.docx